बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

BIADA
BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in, Email-biada-bih@gov.in Phone: 0612-2675991/2675002

अधिसूचना

बियाडा के निदेशक पर्षद् की 86वीं बैठक दिनांक 08.08.2023 के कार्यावली संख्या 4 में बियाडा द्वारा अकार्यरत एवं रदद इकाईयों के भूमि हस्तानांतरण हेतु One Time Opportunity Policy, 2023 लाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी आवश्यक नियम व शर्त्ते निम्नवत् हैः–

1. बियाडा के अन्तर्गत One Time Opportunity के रूप में सभी यूनिट यदि वे चाहे तो अपने यूनिट का हस्तानांतरण निम्न प्रकार से शुल्क देकर कर सकते हैः–

    i. कार्यशील यूनिट अथवा 01 जनवरी 2022 के बाद से अकार्यशील यूनिट हस्तांतरण शुल्क MVR का 10 प्रतिशत।
    ii. 01 जनवरी 2020 के बाद से अकार्यरत यूनिट–हस्तांतरण शुल्क MVR का 15 प्रतिशत।
    iii. 01 जनवरी 2018 के बाद से अकार्यरत यूनिट–हस्तांतरण शुल्क MVR का 20 प्रतिशत।
    iv. 01 जनवरी 2018 के पूर्व अकार्यरत यूनिट–हस्तांतरण शुल्क MVR का 25 प्रतिशत।

2. उपरोक्त कंडिका–1 में वर्णित शुल्क के भुगतान के साथ यूनिट को हस्तांतरण करने के मामले में जिस फर्म / कम्पनी / व्यक्ति (Transferee) द्वारा यूनिट का हस्तांतरण लिया जा रहा है उन्हें यह शपथ–पत्र देना होगा कि वे 06 माह के अन्दर यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देंगे। यदि यूनिट में पूर्व से चल रहे उत्पादन के स्थान पर नई परियोजना अन्तर्गत नए मशीन उपकरण आदि का अधिष्ठापन करते हुए नए उत्पाद का उत्पादन किया जाना हो तो यह अवधि अधिकतम 12 महीनें होगी।
3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश के अनुरूप एक Undertaking भी देना होगा कि वे उपरोक्त समयावधि के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पाते है तो रददीकरण आदेश पुनः प्रभावी माना जाएगा एवं जमीन का कब्जा स्वतः बियाडा के पास आ जायेगा।
4. साथ ही Transferee को बियाडा के संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के भूमि मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि का बैंक गारन्टी के रूप में देनी होगी जो दो वर्षों के लिए मान्य होगा तथा Transferee यूनिट द्वारा निर्धारित समय–सीमा में उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो बियाडा इस बैंक गारन्टी को जब्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

Rajesh

1/8/23

5. उपरोक्त One Time Opportunity हेतु निम्नांकित यूनिट पात्र होंगे:–

क्र0	नियम
01	ऐसे सभी इकाई जिनका वर्तमान में आवंटन वैद्य है।
02	ऐसे सभी इकाई जिनका आवंटन रद्द है एवं अपील अवधि समाप्त नहीं हुई है।
03	ऐसे सभी इकाई जिन्होंने आवंटन रद्दीकरण के विरूद्ध अपील दायर किया है वे अपीलीय प्राधिकार की अनुमति से अथवा अपील Withdraw करके इस नीति का लाभ उठा सकते है।
04	ऐसे सभी इकाई जिसका आवंटन रद्द हो चुका है परन्तु Possession बियाडा द्वारा नहीं लिया गया है।
05	ऐसे इकाई जिसका आवंटन रद्द होने के पश्चात किसी अन्य को पुनः आवंटित कर तृतीय पक्ष का हित प्रतिस्थापित नहीं हुआ हो।
06	ऐसे इकाई जिनका मामला आवंटन रद्दीकरण के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है परंतु Possession बियाडा द्वारा नहीं लिया गया है अथवा third party interest create नहीं हुआ है, वे माननीय उच्च न्यायालय के अनुमति से रिट याचिका withdraw करके इस नीति का लाभ उठा सकते है।

6. इस योजना के तहत आवेदन कार्यकारी निदेशक नार्थ/साउथ के कार्यालय में अथवा उनके ई–मेल ed.north.biada-bih@gov.in पर दिये जा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन/पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त आवंटन के मामलें में माननीय उच्च न्यायालय/अपीलीय प्राधिकार का आदेश अथवा रिट याचिका/अपील Withdraw करने का साक्ष्य(आदेश) देना होगा। आवेदन पत्र के साथ लगने वाले Transferer एवं Transferee द्वारा दिए जाने वाले शपथ–पत्र एवं अंडरटेकिंग प्रारूप संलग्न है।
7. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों की समीक्षा बियाडा द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी जिस पर प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। इस योजना का लाभ देने अथवा नहीं देने पर प्रबंध निदेशक, बियाडा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2023 तक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह नीति, निर्गत की तिथि से लागू होगा।

निदेशक पर्षद का निर्णय दिनांक 08.08.23

Rajni

ह0/–
कार्यकारी निदेशक–ऑपरेशन्स
बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 5129/Estt   दिनांक 10/08/23

प्रतिलिपिः—संयुक्त प्रबंध निदेशक, बियाडा/कार्यकारी निदेशक—नार्थ, साउथ, प्रोजेक्ट, निवेश प्रोत्साहन/विधि सलाहकार, बियाडा/सभी उप महाप्रबंधक, बियाडा/आई0टी0 शाखा, बियाडा/प्रभारी, प्रबंध्क निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/23

कार्यकारी निदेशक—ऑपरेशन्स
बियाडा, पटना।

Stamp/e-stamp paper (For Transferer)

AFFIDAVIT BY TRANSFERER

I,.........................,age..........S/o/D/o..............,R/o........................ .... P.O............... District.............. Pin................ do hereby solemly affirm and declare as follows:-

1. That I am allottee/authorized partner/Director/authorized representative of M/s ....situated at .... Cluster and I am the allottee of BIADA and duly authorized to swear the affidavit on behalf of unit, herein referred as 'Transferor'.
2. That I unequivocally affirm and state that I wish to take the benefits of 'One Time Opportunity to Transfer Policy 2023' on my own volition and prerogative.
3. That I affirm and state that I am willing to pay transfer fees as envisaged in the One Time Opportunity-2023 policy and in terms thereof instantaneously.
4. That I accept all the terms and conditions of the One Time Opportunity-2023 issued vide memo no. .... Dated.............. for the transfer of the unit.
5. That in case of non-adherence of any of the terms of One Time Opportunity- 2023 I shall hand over the vacant and peaceful possession to BIADA and I Shall loose all right therein.
6. That the contents of this affidavit have been read over by me and understood the same and they are true to the best my knowledge and belief.

Deponent

Stamp/e-stamp paper (For Transferee)

AFFIDAVIT BY TRANSFEREE

I,……………………..,age………S/o/D/o…………..,R/o…………………… ……………… P.O………….. District………….. Pin…………… do hereby solemly affirm and declare as follows:-

1. That I have gone through the One Time Opportunity- 2023 policy for transfer.
2. That I am the transferee of the unit namely……………………by transferee namely……………..
3. That I affirm and undertake that within six (6) months from date of transfer, will commence the commercial production in the said transferred unit to me.
4. That I further affirm and state that in case of failure to stick to the timeline mentioned in the One Time Opportunity- 2023, the physical possession of the land shall be vested automatically and repossessed by BIADA and the unit shall lose all rights therein granted through allotment letter.
5. That I further affirm and undertake that I will not take any recourse or any action against BIADA in whatsoever manner in contravention to the One Time Opportunity- 2023 and in this regard order of the Managing Director, BIADA will be final and binding upon me.
6. That I accept the terms and conditions of the One Time Opportunity of transfer issued vide memo no. ………………Date…………………..
7. That the contents of this affidavit have been read by me and understood the same and they are true to my knowledge and belief.

Deponent